रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 1976/पौष 13, 1897
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 1976/PAUSA 13, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 3rd January 1976

No. DRAWBACK/PN-6/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

1. For Sub-item(g) of item (i) of clause (c) of Sub-Serial, 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(g) Cotton content in yarn :	
(i) if the yarn is of and above 42·3 NF count (50s) but upto and including 50·8 NF count (60s).	Rs. 0·32 (Thirty two paise only) per Kg.
(ii) if the yarn is above 50·8 NF count (60s) but upto and including 76·2 counts (90s).	Rs. 1·50 (Rupees One and paise fifty only) per Kg.
(iii) If the yarn is above 76·2 NF count (90s) but upto and including 84·7 NF count (100s).	Rs. 6 (Rupees Six only) per Kg.
(iv) if the yarn is above 84·7 NF count (100s).	Rs. 11·30 (Rupees eleven and paise thirty only) per Kg.

2. In proviso (1) under sub-item (i) of item (c) of Sub-Serial No. 2503 for the words "on ac count of fibre content" read "on account of synthetic fibre content".

3. For Sub-Serial No. 2504 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

2504 (A) *Cotton Yarn*—

(a) Processed :

(i) if the yarn is of and above 42·3 NF count (50s) but upto and including 50·8 NF count (60s).	Rs. 0·32 (Thirty two paise only) per Kg.
(ii) if the yarn is above 50·8 NF count (60s) but upto and including 76·2 NF count (90s).	Rs. 1·50 (Rupees One and paise fifty only) per Kg.
(iii) if the yarn is above 76·2NF count (90s) but upto and including 84·7 NF count (100s).	Rs. 6·00 (Rupees Six only) per Kg.
(iv) if the yarn is above 84·7 NF count (100s).	Rs. 11·30 (Rupees eleven and paise thirty only). per kg.

(b) Grey (Unprocessed) :

(i) if the yarn is of and above 42·3 NF count (50s) but up to and including 50·8 NF count (60s).	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per Kg.
(ii) if the yarn is above 50·8 NF count (60s) but upto and including 76·2 NF count (90s).	Rs. 1·45 (Rupees One and paise forty five only) per Kg.
(iii) if the yarn is above 76·2NF count (90s) but upto and including 84·7 NF counts (100s).	Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per Kg.
(iv) if the yarn is above 84·7 NF count (100s).	Rs. 10·90 (Rupees ten and paise ninety only) per Kg.

(B) *Cotton Thread*—

(a) Processed :

(i) where all strands of yarn used in the thread are of and above 42·3 NF (50s) but upto and including 50·8 NF counts (60s).	Rs. 0·32 (Thirty two paise only) per Kg.
(ii) where all strands of yarn used in the thread are above 50·8 NF counts (60s) but upto and including 76·2 NF counts (90s).	Rs. 1·50 (Rupees One and paise fifty only) per Kg.
(iii) where all strands of yarn used in the thread are above 76·2 NF counts (90s) but upto and including 84·7 NF count (100s).	Rs. 6·00 (Rupees six only) per Kg.
(iv) where all strands of yarn used in the thread are above 84·7 NF counts (100s).	Rs. 11·30 (Rupees eleven and paise thirty only) per Kg.

(b) Grey (unprocessed)—

(i) where all strands of yarn used in the thread are of and above 42·3 NF (50s) but upto and including 50·8 NF counts (60s).	Rs. 0·30 (Thirty paise only) per Kg.
(il) where all strands of yarn used in the thread are above 50·8 NF counts (60s) but upto and including 76·2 NF counts (90s).	Rs. 1·45 (Rupees One and paise forty five only) per Kg.
(iii) where all strands of yarn used in the thread are above 76·2 NF counts (90s) but upto and including 84·7 NF counts (100s).	Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per Kg.
(iv) where all strands of yarn used in the thread are above 84.7 NF counts (100s).	Rs. 10.90 (Rupees ten and paise ninety only) per Kg.

4. For sub-Serial No. 2602 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

2602. Processed Cotton fabric containing more than 90% of cotton.	(*a*) Rs. 0·32 (Thirty two paise only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is of and above 42.3 NF counts (50s) but upto and including 50.8 NF counts (60s)
	(*b*) Rs. 1·50 (Rupee One and paise fifty only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 50.8 NF count (60s) but upto and including 76·2 NF counts (90s).
	(*c*) Rs. 6·00 (Rupees Six only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 76·2 NF count (90s) but upto and including 84·7 NF count (100s).
	(*d*) Rs. 11·30 (Rupees Eleven and paise thirty only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 84·7 NF counts (100s).

5. For the existing sub-item 2603 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

2603. Unprocessed cotton fabrics containing more than 90% of cotton.	(*a*) Rs. 0·30 (Paise thirty only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is of and above 42·3 NF counts (50s) but upto and including 50.8 NF counts (60s).
	(*b*) Rs. 1·45 (Rupee One and paise forty five only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 50·8 NF counts (60s) but upto and including 76.2 NF counts (90s).
	(*c*) Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 76·2 NF counts (90s) but upto and including 84·7 NF counts (100s).
	(*d*) Rs. 10·90 (Rupees Ten and paise ninety only) per Kg. of content of cotton in cotton yarn if the yarn is above 84·7 NF counts (100s).

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1976

सं० प्रतिग्रहणी/सा० शु०-6/76.—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति ग्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम

4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी से एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है:—

1. उपक्रमांक 2503 के खण्ड (ग) की मद (1) के उपमद (छ) तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

(छ) **आगे में सूती अन्तर्वस्तु:**

(i) यदि धागा 42.3 एन० एफ० काउंट (50 एस०) का और उससे अधिक परन्तु 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) तक, जिसमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) शामिल है, का हो।	0.32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति किलो ग्राम।
(ii) यदि धागा 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) से अधिक परन्तु 76.2 काउंट (90 एस०) तक जिसमें 76.2 काउंट (90 एस०) शामिल है, का हो।	1.50 रु० (केवल एक रुपया पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(iii) यदि धागा 76.2 काउंट (90 एस०) से अधिक परन्तु 84.7 एन०एफ०काउंट (100 एस०) तक, जिसमें 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) शामिल है, का हो।	6.00 रु० (केवल छः रुपये) प्रति कि०ग्रा०।
(iv) यदि धागा 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) से अधिक का हो।	11.30 रु० (केवल ग्यारह रुपये तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

2. उपक्रमांक 2503 की मद (ग) की उपमद (झ) के अन्तर्गत परन्तुक (1) में "तन्तु अन्तर्वस्तु के कारण" शब्दों के स्थान पर "संश्लिष्ट तन्तु अन्तर्वस्तु के कारण" पढ़िये।

3. उपक्रमांक 2504 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात्:—

2504 (क) सूती-धागा—

(क) प्रक्रियागत :

(i) यदि धागा 42.3 एन० एफ० काउंट (50 एस०) का अथवा इससे अधिक का परन्तु 50.8 एन०एफ०काउंट (60 एस०) तक, जिसमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) शामिल हो, का हो।	0.32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

(ii) यदि धागा 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) से अधिक का परन्तु 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) तक का हो जिसमें 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) शामिल है।	1.50 रु० (केवल एक रुपया पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(iii) यदि धागा 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) से अधिक परन्तु 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) तक का हो जिसमें 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) शामिल है।	6.00 रु० (केवल छः रुपये) प्रति कि० ग्रा०।
(iv) यदि धागा 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) से अधिक का हो।	11.30 रु० (केवल ग्यारह रुपये तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(ख) कोरा (अप्रक्रियागत) :	
(i) यदि धागा 42.3 एन० एफ० काउंट (50 एस०) और इससे अधिक परन्तु 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) तक का हो जिसमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) भी शामिल है।	0.30 रु० (केवल तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(ii) यदि धागा 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) से अधिक परन्तु 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) तक का हो जिसमें 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) भी शामिल है।	1.45 रु० (केवल एक रुपया पैंतालीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(iii) यदि धागा 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) से अधिक परन्तु 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) तक का हो, जिसमें 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) भी शामिल है	5.80 रु० (केवल पांच रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(iv) यदि धागा 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) से अधिक का हो।	10.90 रु० (दस रुपये नब्बे पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
(ख) सूती धागा—	
(क) प्रक्रियागत :	
(i) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 42.3 एन० एफ० (50 एस०) से अधिक परन्तु 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) तक के हों, जिसमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) भी शामिल हैं।	0.32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

(ii) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) से अधिक, परन्तु 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) तक हों, जिनमें 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) भी शामिल हैं।	1.50 रुपये (केवल एक रुपया और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
(iii) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) से अधिक, परन्तु 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) तक हों, जिनमें 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) भी शामिल हैं।	6.00 रुपये (केवल छः रुपये) ति किलोग्राम।
(iv) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 84.7 एन०एफ० काउंट (100 एस०) से अधिक हों।	11.30 रु० (केवल ग्यारह रुपये और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
(ख) कोरा (अप्रक्रियागत) :	
(i) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 42.3 एन० एफ० काउंट (50 एस०) और उससे अधिक हों परन्तु 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) तक हों, जिसमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) भी शामिल हैं।	0.30 रुपये (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
(ii) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) से अधिक, परन्तु 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) तक हों, जिसमें 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) भी शामिल हैं।	1.45 रु० (केवल एक रुपया और पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
(iii) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 76.2 एन० एफ० काउंट (90 एस०) से अधिक, परन्तु 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) तक हों, जिसमें 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) भी शामिल हैं।	5.80 रुपये (केवल पांच रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
(iv) जहां धागे में प्रयुक्त सूत के सभी रेशे 84.7 एन० एफ० काउंट (100 एस०) से अधिक हों।	10.90 रुपये (केवल दस रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।

4. उपक्रमांक 2602 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

2602	प्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो।	(क) 42.3 एन० एफ० काउंट (50 एस०) और उससे अधिक परन्तु 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) तक के सूती धागे, जिनमें 50.8 एन० एफ० काउंट (60 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 0.32 रुपये (केवल बत्तीस पैसे)। (ख) 50.8 एन० एफ० काउन्ट (60 एस०) से अधिक परन्तु 76.2 एन० एफ० काउन्ट (90 एस०) तक के सूती धागे जिनमें 76.2 एन० एफ० काउन्ट (90 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 1.50 रु० (केवल एक रुपया और पचास पैसे)। (ग) 76.2 एन०एफ० काउन्ट (100 एस०) से अधिक परन्तु 84.7 एन०एफ० काउंट (100 एस०) तक के सूती धागे, जिनमें 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 6.00 रु० (केवल छः० रुपये)। (घ) 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) से अधिक के सूती धागे की सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 11.30 रुपये (केवल ग्यारह रुपये और तीस पैसे)।

5. प्रवर्तमान उप-क्रमांक 2603 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

2603	अप्रक्रियागत सूती वस्त्र जिनमें सूत की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक हो।	(क) 42.3 एन० एफ० काउन्ट (50 एस०) और उससे अधिक परन्तु 50.8 एन०एफ० काउन्ट (60 एस०) तक के सूती धागे, जिनमें 50.8 एन०एफ० काउन्ट (60 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 0.30 रु० (केवल तीस पैसे)।

(ख) 50.8 एन० एफ० काउन्ट (60 एस०) से अधिक परन्तु 76.2 एन० एफ० काउन्ट (90 एस०) तक के सूती धागे, जिनमें 76.2 एन० एफ० काउन्ट (90 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 1.45 रु० (केवल एक रुपया, पैंतालीस पैसे)।

(ग) 76.2 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) से अधिक परन्तु 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) तक के सूती धागे, जिनमें 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) भी शामिल है, में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 5.80 रुपये (केवल पांच रुपये और अस्सी पैसे)।

(घ) 84.7 एन० एफ० काउन्ट (100 एस०) से अधिक के सूती धागे में सूत अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 10.90 रुपये (केवल दस रुपये और नब्बे पैसे)।

No. DRAWBACK/PN-7/76.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 2628 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Sr. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2628	Cotton fabrics falling under item No. 19-I of the first schedule to Central Excises and Salt Act, 1944 and manufactured on power-looms.	
	(i) of above 100 counts of yarn content.	Rs. 16·60 (Rupees Sixteen and paise Sixty only) per Kg.
	(ii) of above 90 counts and upto and including 100 counts of yarn content	Rs. 11·30 (Rupees Eleven and paise thirty only) per Kg.
	(iii) of above 84 counts and upto and including 90 counts of yarn content.	(Rs. 6·80 Rupees Six and paise eighty only) per Kg.
	(iv) of above 69 counts and upto and including 84 counts of yarn content	Rs. 6·30 (Rupees Six and paise thirty only) per Kg.

1	2	3
	(v) of above 60 counts and upto and including 69 counts of yarn content.	Rs. 6·00 (Rupees six only) per Kg.
	(vi) of above 51 counts and upto and including 60 counts of yarn content.	Rs. 4·80 (Rupees four and paise eighty only) per Kg.
	(vii) of 40 or more counts but less than 51 counts of yarn content.	Rs. 4·00 (Rupees four only) per Kg.
	(viii) of 34 or more counts but less than 40 counts of yarn content.	Rs. 1·80 (Rupee one and paise eighty only) per Kg.
	(ix) of 29 or more counts but less than 34 counts of yarn content.	Rs. 1·60 (Rupee one and paise sixty only) per Kg.
	(x) of 22 or more counts but less than 29 counts of yarn content.	Rs. 0·64 (Paise sixty-four only) per Kg.
	(xi) of 14 or more counts but less than 22 counts of yarn content.	Rs. 0·21 (paise twenty one only) per Kg.
	(xii) of less than 14 counts of yarn content.	Re. 0·10 (Paise ten only) per Kg.

Provided that :—

(i) where the fabrics contain 2 or more yarns of different counts and/or falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of weight of each category of yarn at the rate applicable to the count groups aforesaid.

(ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metres hanks per one half Kg.

(iii) the manufacturer/exporter declares in the Shipping Bill that central excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू०-7/76.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 ग्रगस्त, 1971 में प्रकाशित ग्रधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र०ग्र०) के नियम 4 के ग्रधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 ग्रक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2628 ग्रौर तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
1	2	3
2628	केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा नमक ग्रधिनियम 1944 की प्रथम ग्रनुसूची की मद सं० 19-1 के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले सूती वस्त्र जो विद्युत करघों पर निर्मित किये गये हों ।	
	(i) 100 काउन्ट से ग्रधिक की धागा ग्रन्तर्वस्तु	16.60 रुपये (केवल सोलह रुपये ग्रौर साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
(ii)	90 काउन्ट से अधिक और 100 काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु तक, जिसमें 100 काउन्ट भी शामिल हैं ।	11.30 रु० (केवल ग्यारह रुपये और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(iii)	84 काउन्ट से अधिक और 90 काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु तक, जिसमें 90 काउन्ट भी शामिल हैं ।	6.80 रुपये (केवल छः रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(iv)	69 काउन्ट से अधिक और 84 काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु तक, जिसमें 84 काउन्ट भी शामिल है ।	6.30 रुपये (केवल छः रुपये और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
(v)	60 काउन्ट से अधिक और 69 काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु तक, जिसमें 69 काउन्ट भी शामिल है ।	6.00 रुपये (केवल छः रुपये) प्रति किलोग्राम ।
(vi)	51 काउन्ट से अधिक और 60 काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु तक, जिसमें 60 काउन्ट भी शामिल है ।	4.80 रुपये (केवल चार रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(vii)	40 अथवा इससे अधिक काउन्ट परन्तु 51 से कम काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु ।	4.00 रुपये (केवल चार रुपये) प्रति किलोग्राम ।
(viii)	34 अथवा इससे अधिक काउन्ट परन्तु 40 से कम काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु ।	1.80 रुपये (केवल एक रुपया और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ix)	29 अथवा इससे अधिक काउन्ट परन्तु 34 से कम काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु ।	1.60 रुपये (केवल एक रुपया साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(x)	22 अथवा इससे अधिक काउन्ट परन्तु 29 से कम काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.64 रु० (केवल चौसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(xi)	14 अथवा इससे अधिक काउन्ट परन्तु 22 से कम काउन्ट की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(xii)	14 काउन्ट से कम की धागा अन्तर्वस्तु ।	0.10 रुपया (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु :—

(i) जहां वस्त्र में विभिन्न काउन्ट के दो अथवा दो से अधिक धागे हों तथा/अथवा उपर्युक्त विभिन्न काउन्ट समूहों के अन्तर्गत आते हों तो प्रतिअदायगी, प्रत्येक वर्ग के धागे के भार के आधार पर उक्त काउन्ट समूहों पर लागू दर मंजूर की जायगी ।

(ii) धागे का काउन्ट कोरे बिना कलफ के धागे का सादृश्य होगा जो प्रति आधा किलोग्राम 1000 मीटर की अट्टियों के रूप में व्यक्त किया गया है ।

(iii) निर्माता/निर्यातकर्ता पोत परिवहन बिल में घोषित करता है कि सूती वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये धागे पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क की अदायगी की जा चुकी है ।

सी० भुजंगस्वामी, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976